# उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

## आदेश पत्रक

**परमिशन वाद संख्या – ....06..... / 2018**

**सनु मदन सोरेन वगै0 बनाम् ओ0एन0जी0सी0**

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख |
|---|---|---|
| 13-06-2018 | आवेदक सनु मदन सोरेन पिता जीतराम मांझी वो लालदेव मांझी पिता स्व0 शिकारी मांझी वो अशोक सोरेन पिता टीकाराम मांझी सभी का निवास ग्राम काशीखाप, पो0–हेसागड़ा, थाना– माण्डू, जिला– रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा मौजा– काशीखाप, थाना नं0– 123, खाता नं0–12, प्लॉट नं0–55 कुल रकवा– 57 डी0 भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अर्न्तगत ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0 परिसंपति बोकारो (प्रथम तला, एच0एस0सी0एल0 भवन नया मोड़ बोकारो) को पट्टे में देनें की अनुमति हेतु आवेदन दायर किया गया है।<br><br>आवेदकगण से प्राप्त आवेदन एवं संलग्नक कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि खतियानी रैयत एवं जमाबन्दी रैयत के वंशजों के बीच आपसी बंटवारा नहीं हुआ है और न ही बंटवारा से संबंधित कोई कागजात आवेदकगण के द्वारा दाखिल किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अनुमति हेतु प्रश्नगत भूमि आवेदकगण के हिस्से की भूमि है।<br><br>उक्त परिपेक्ष्य में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 अर्न्तगत अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पोषणीय नहीं है। अतः प्रविष्टि के बिन्दु पर प्रश्नगत भूमि से संबंधित अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।<br><br>लेखापित एवं संशाधित<br><br>13/6/18<br>उपायुक्त,<br>रामगढ़।<br><br>13/6/18<br>उपायुक्त,<br>रामगढ़। | |